



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247740
CG-DL-E-31072023-247740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]
No. 451]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 31/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "गुजरात राज्य" शब्दों के पश्चात् "और पुडुचेरी राज्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 27/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 903(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित में सा.का.नि. सं. 248 (अ), तारीख 31 मार्च, 2023 में अधिसूचना सं. 5/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 31/2023- Central Tax

G.S.R. 574(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-rule (4B) of rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2022-Central Tax, dated the 26th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 903(E), dated the 26th December, 2022, namely:-

In the said notification, after the words, “State of Gujarat”, the words “and the State of Puducherry” shall be inserted.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

Note:- The principal Notification No. 27/2022- Central Tax, dated the 26th December, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 903(E), dated the 26th December, 2022 and was last amended, *vide* notification number 05/2023 – Central Tax, dated the 31st March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 248(E), dated the 31st March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 32/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 575(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 32/2023 – Central Tax

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 33/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 576(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, "लेखा संकलक" को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी- लेखा संकलक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथापरिभाषित है

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 33/2023 – Central Tax

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Account Aggregator" as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

Explanation: For the purpose of this notification, "Account Aggregator" means a non-financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 34/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 577(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :-

- (i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे ;
- (ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे;

- (iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी ;
- (iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, आम पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो आम पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अधीन होगा ;
- (v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्यांक के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए आम पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है ;
- (vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;
- (vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ; और
- (viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्त्वर्ती अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमान्य नहीं रह जाएगी ।
2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 34/2023- Central Tax

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely: —

- (i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;
- (ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;
- (iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;
- (v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);
- (vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State or Union territory;
- (vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and
- (viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 01/2023 – एकीकृत कर

सा.का.नि. 578(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, सभी वस्तुओं और सेवाओं (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सिवाय) को वस्तु और सेवाओं की श्रेणी के रूप में अधिसूचित करती है, जिन्हें एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात किया जा सकता है और जिस पर ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है :

सारणी

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	20 90 2106	पान मसाला
2.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के बिना) – ब्रांड नाम वाला
3.	2401	अनिर्मित तम्बाकू (चूने की ट्यूब के साथ) – ब्रांड नाम वाला
4.	00 30 2401	तम्बाकू से इन्कार, ब्रांड नाम वाला
5.	10 11 2403	तम्बाकू ब्रांड नाम वाला ‘हुक्का’ या ‘गुडकू’
6.	10 11 2403	धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाने वाला तम्बाकू ‘हुक्का’ या ‘चिलम’, जिसे आम तौर पर ‘हुक्का’ तम्बाकू या ‘गुडकू’ के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
7.	90 11 2403	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जल पाइप, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
8.	10 19 2403	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	90 19 2403	अन्य धूम्रपान तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम है
10.	90 19 2403	अन्य धूम्रपान तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
11.	00 91 2403	“होमोजिनाइज्ड” या “रिकांस्टीट्यूटेड” तम्बाकू, जिसका कोई ब्रांड नाम है
12.	10 99 2403	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
13.	10 99 2403	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
14.	10 99 2403	फिल्टर खैनी
15.	20 99 2403	चबाने वाला तम्बाकू, जिसमें तैयारी शामिल है
16.	30 99 2403	जर्दा सुगंधित तम्बाकू
17.	40 99 2403	सुंघनी
18.	50 99 2403	सुंघनी, जिसमें तैयारी शामिल है
19.	60 99 2403	तम्बाकू का अर्क और सार, जिसका कोई ब्रांड नाम है
20.	60 99 2403	तम्बाकू का अर्क और सार, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है

21.	70 99 2403	कटी हुई तम्बाकू
22.	90 99 2403	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला
23.	90 99 2403	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला के अतिरिक्त, सभी वस्तु, जिसका कोई ब्रांड नाम है
24.	90 99 2403	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाला के अतिरिक्त, सभी वस्तु, जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
25.	00 24 3301 10 25 3301 20 25 3301 30 25 3301 40 25 3301 90 25 3301	खट्टे फलों के अतिरिक्त आवश्यक तेलों के नाम निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-- (क) पेपरमिंट (मेथा पिपेरिटा) का ; (ख) अन्य मिंट का : स्पियर मिंट तेल (एक्स-मेथा स्पिकटा), जल मिंट-तेल (एक्स-मेथा एक्वारिक), हार्समिंट तेल (एक्स-मेथा साल्यलबेस्ट्रीज), बेरगामेंट तेल (एक्स-मेथा सिटरेट), मेन्था अरवेनसिस

स्पष्टीकरण--

- (i) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है।
 - (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वाचन के लिए नियम, यथा संभव, इस अधिसूचना के निर्वाचन के लिए लागू होंगे।
 - (iii) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड नाम" वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम अभिप्रेत है, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् एक नाम या चिन्ह, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या अविष्कृत शब्द या लेखन, जिसका उपयोग ऐसे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार के दौरान किसी संबंध को इंगित करने के प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, और कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति की किसी भी व्यक्तिगत पहचान के साथ या उसके बिना ऐसे नाम या चिन्ह का उपयोग करते हैं।
2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 01/2023 – Integrated Tax

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereafter referred to as the "said Act"), the Central Government on the recommendations of the Council, hereby notifies all goods or services (except the goods specified in column (3) of the TABLE below) as the class of goods or services which may be exported on payment of integrated tax and on which the supplier of such goods or services may claim the refund of tax so paid:

TABLE

S.No	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube) – bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube) – bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name

5.	2403 11 10	'Hookah' or 'gudaku' tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	Tobacco used for smoking 'hookah' or 'chilam' commonly known as 'hookah' tobacco or 'gudaku' not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name.
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	“Homogenised” or “reconstituted” tobacco, bearing a brand name
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco 'Gutkha'
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco 'gutkha', not bearing a brand name
25.	3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40, 3301 25 90	Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - (a) Of peppermint (<i>Mentha piperita</i>); (b) Of other mints : Spearmint oil (<i>ex-mentha spicata</i>), Water mint-oil (<i>ex-mentha aquatic</i>), Horsemint oil (<i>ex-mentha sylvestries</i>), Bergament oil (<i>ex-mentha citrate</i>), <i>Mentha arvensis</i>

Explanation. -

- (i) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
- (iii) For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director